जबाब प्रार्थना पत्र
अ. धारा 251 ए
आर.टी.ए.

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया।

दीपक
बनाम बलवन्त वगैरा
अ.धाराः– 251 ए. आर.टी.ए.
प्रार्थना पत्र क्रमांक –ः 04/2020

श्रीमान् जी,

जबाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 4ता.7 की ओर से निम्नानुसार निवेदित हैः–

1. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार अप्रार्थीगण का पंजीकृत पता प्रार्थना पत्र के शीर्षक मे दर्ज नहीं किये जाने से प्रारम्भत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है। क्योकि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 4ता.7 के स्थाई एवं पंजीकृत पते का वार्ड नं. 9 मोहल्ला ईत्यादि का नहीं भी वर्णन नहीं किया गया है।
2. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 2 में किये गये कथन ज्ञान के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी एवं दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करें।
3. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में किये गये समस्त कथन मिथ्या होने से अस्वीकार है। इस चरण सं. में प्रार्थी द्वारा किया गया कथन कि प्रार्थी के कब्जा काश्त के चक 3 एन.टी.डब्ल्यु. के प.न. 181/173 मु.न. 45 कि.न. 19,20,21,22,23 प्रार्थी के कब्जा काश्त मे है प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने यह नहीं बताया है कि प्रार्थी के पास उक्त कृषि भूमि गत कितने वर्षो से कब्जा काश्त में है एवं गत रहे वर्षो में अपनी उक्त कृषि भूमि की काश्त करता रहा है या नहीं यह भी नहीं बताया है। यदि काश्त करता रहा है तो बिना किसी रास्ता के अपनी कृषि भूमि में काश्त के लिये कैसे गया है। इस बात का भी मौजूदा प्रा[illegible] में प्रार्थी के द्वारा कुछ भी नहीं बताया गया है। इससे यह स्पष्ट [illegible] है कि प्रार्थी के पास अपनी कृषि भूमि गत काफी वर्षो से [illegible] काश्त करता चल[illegible] रहा है। उसके लिये प्रार्थी अपने खेत मे जाने के लिये उपलब्ध रास्ते का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन प्रार्थी जानबुझ कर मौजूदा रास्ते का विवरण प्रार्थना पत्र में दर्ज नहीं किया है और हम अप्रार्थीगण को तंग व परेशान करने की नियत से मौजूदा प्रार्थना पत्र मनघड़त तथ्यो को वर्णित करते हुये मौजूदा

लगातार–2

दीपक कुमार सुमित्रा। किरण [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Meena
Date: 2024.09.09 14:54:5
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र के जरिये चक 3 एन.टी.डब्ल्यु. के प.न. 181/173 के प.न. 45 कि.न. 1,10,11 में पत्थर लाईन से चिपता 1-1 बिस्वा रास्ते की मांग की गई है। उक्त किला नं. 1 जो वर्तमान में खाता सं. 37/30 संयुक्त खाते में इन्द्रजीत, प्रदीप कुमार व सरस्वती देवी के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है तथा कि.न. 10 मौजूदा वर्तमान रिकार्ड के अनुसार खाता सं. 93/30 संयुक्त खाते में किरणबाला, दीपक, मनोज व सुमित्रा देवी के नाम से दर्ज है तथा कि.न. 11 खाता सं. 32/32 के जसविन्द्र सिंह पुत्र श्री शिवराज सिंह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमे मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा आज रोज तक **इन्द्रजीत पुत्र गोपीराम जाति बिश्नोई निवासी संगरिया** एवं **सरस्वती देवी पत्नी वेदप्रकाश जाति कुम्हार निवासी संगरिया** को बतौर अप्रार्थीगण पक्षकार संयोजित नहीं किया गया ऐसे में ना तो कोई रास्ता स्वीकार करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है और इसके साथ-साथ प्रार्थी संयुक्त रूप से संयुक्त खातेदारो के नाम से दर्ज एवं कब्जा काश्त है ऐसे में बिना उक्त संयुक्त खातेदारों के खाता विभाजन करवाये बिना किसी भी सुरत में रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नहीं है। क्योकि यह नही बताया जा सकता कि प्रार्थी द्वारा मांग किये जा रहे रास्ते की भूमि किस काश्तकार के हिस्से से कम होगी और किस काश्तकार को रास्ते की भूमि के एवज में भूमि के बदले दी जाने वाली भूमि किस काश्तकार अर्थात व्यक्ति को प्रदत की जावेगी। इस बात का निधारण प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते की भूमि के खातेदार काश्तकारो का खाता विभाजन हुये बिना किसी भी प्रकार से निश्चित एवं विधिक तौर पर निर्णय नहीं किया जा सकेगा और ऐसी सूरत में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को स्वीकृत करवाने के लिये किसी भी प्रकार से अधिकारी एवं दावेदार नहीं है।

4. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 4 में किये गये समस्त कथन मिथ्या होने से अस्वीकार है। हम प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद कारण प्राप्त नहीं है। वाद कारण के अभाव में मौजूदा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

5. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 5 प्रार्थना पत्र की आवश्यकतानुसार दर्ज की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि प्रार्थना पत्र की चरण सं. 6 ... चाहे गये अनुतोष से स्पष्ट ईनकारी है। प्रार्थी मौजूदा प्रार्थना ... से किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का ... का मौजूदा प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

लगातार-3

दीपक कुमार सुमित्रा किरण

अतिरिक्त कथन एवं अतिरिक्त आपतियां

7. यह कि अप्रार्थी सं. 4ता.7 के नाम से चक 3 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 93/30 में संयुक्त रूप से 1.856 है. कृषि भूमि संयुक्त रूप से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस प्रकार से अप्रार्थीगण एक सीमान्त कृषक है। अप्रार्थीगण के उक्त खाता में कब्जा काश्त की कृषि भूमि प.न. 44 के कि.न. 6ता.10 व मु.न. 45 के कि.न. 10 पर संयुक्त रूप से कब्जा काश्त एवं कब्जा धारक है और प्रार्थी द्वारा मु.न. 45 के कि.न. 10 मे से 1 बिस्वा का रास्ता पत्थर लाईन के साथ चिपता की मांग की गई है। यदि प्रार्थी की इस मांग को न्यायालय द्वारा स्वीकार कर ली जाती है तो हम अप्रार्थीगण की उक्त कब्जा काश्त की कृषि भूमि का विभाजन दो भागो मे हो जावेगा जो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। हम अप्रार्थीगण के पास उक्त मात्र कृषि भूमि ही है और उक्त सीमान्त कृषि भूमि मे से भी रास्ता स्वीकृत किये जाने की सूरत में और भी कृषि भूमि कम हो जावेगी जो किसी भी प्रकार से उचित एवं न्यायोचित नहीं है। हम अप्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधन उक्त कृषि भूमि की आय पर ही निर्भर है जो कि पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो जावेगा क्योकि प्रार्थी किसी भी सूरत में हम अप्रार्थीगण को रास्ते की भूमि के बदले कृषि भूमि उपलब्ध नहीं करवा सकेगा क्योकि प्रार्थी को कृषि भूमि हम अप्रार्थीगण की कृषि भूमि के साथ चिपती हुई कोई कृषि भूमि नहीं है। इस प्रकार से प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ऐसी सूरत में प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

8. यह कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता कि.न. 1,10 व 11 में जो कि राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खाते में संयुक्त रूप से संयुक्त खातेदारो के नाम से दर्ज होने की स्थिति में बिना विभाजित हुये विधिक रूप से रास्ते की स्वीकृति प्रदान नही की जा सकती है। जिसके सम्बन्ध में विस्तृत विवरण जबाब प्रार्थना पत्र की चरण सं. 3 में दिया जा चुका है।

9. यह कि प्रार्थी द्वारा मौजूदा प्रार्थना पत्र में अपनी कृषि भूमि मे गत काफी वर्षो से की जा रही काश्त के दौरान अपने खेत मे आने-जाने हेतु किस रास्ते का प्रयोग किया जाता रहा है या वैकल्पिक रास्ते के सम्बन्ध में भी कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा हल्का पटवारी व गिरदावर से मिली भगत कर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार करवा पेश की गई है। जिसे हम अप्रार्थीगण प्रारम्भतः अस्वीकार करते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested

लगातार-4

दीपक कुमार सुमित्रा किरण

जिसके लिये हम अप्रार्थीगण अपनी मौजूदगी में उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में रास्ते के लिये वैकल्पिक रास्ता व वर्तमान मौजूदा रास्ता जो कृषि भूमि के नजदीक अन्य स्वीकृत रास्तो की रिपोर्ट करवाना चाहते है। जिससे कि न्यायालय के समक्ष सही वस्तु स्थिति आ सके और हम अप्रार्थीगण के सीमांत कृषि भूमि के दो भागो में विभाजित होने से बचा जा सके।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त हालात में प्रार्थी का मौजूदा प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारीज किया जावे।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांकः- 29/8/2024

अप्रार्थीगण

1. सुमित्रा पत्नी स्व. श्री रामकुमार
2. मनोज पुत्र स्व. श्री रामकुमार
3. दीपक पुत्र स्व. श्री रामकुमार
4. किरणबाला पुत्री स्व. श्री रामकुमार समस्त जाति नाई निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested

शपथ–पत्र

माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर
संगरिया

दीपक बनाम बलवन्त वगैरा

जबाब प्रार्थना पत्र

मैं मनोज पुत्र श्री रामकुमार जाति नाई निवासी वार्ड नं. 21 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) का हूँ।

1. मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि उत्तर जबाब प्रार्थना–पत्र की चरण संख्या 1 से 9 में जो तथ्य लिखवाया है वह मेरे श्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एंव सही सही लिखवाया है।

दिनांकः–

शपथगृहिता

(मनोज)

सत्यापन

मैं शपथ पूर्वक सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र की चरण संख्या 1 में जो तथ्य लिखवाया है वह मेरे श्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य एंव सही सही लिखवाया है इसमें कोई तथ्य छिपाया, घटाया,बढाया नही गया है।.

दिनांकः–

शपथगृहिता

(मनोज)

ATTESTED
Advocate & Oath Commissioner
Sangaria 335063
Distt. Hanumangarh (Raj.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 04/2020
उनवान दीपक बनाम बलवन्त वगैरा
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

दीपक पुत्र हनुमान जाति बिश्नोई सा.वार्ड नं. 11 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. बलवन्त राम पुत्र मनीराम जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
1/1 राजेश्वरी देवी पत्नी बलवन्त राम. 1/2 प्रदीप कुमार. 1/3 सदीप कुमार पि. बलवन्तराम निवासी संगरिया।
2. सुमनलता पत्नी तोलाराम पुत्री कृष्ण सा. 22 जीबी तह. विजयनगर
3. प्रेमलता पत्नी चन्द्रशेखर पुत्री कृष्ण सा. टालीवाला बोदला तह. फाजिल्का पजाब
4. सुमित्रा देवी पत्नी रामकुमार जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
5. मनोज कुमार पुत्र रामकुमार जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
6. दीपक पुत्र रामकुमार जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
7. किरणबाला पुत्री रामकुमार जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
8. दुर्गा देवी पत्नी मनफूल जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
9. राजेन्द्र पुत्र मनफूल जाति नाई सा. संगरिया तह. संगरिया।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।
11. संदीप कुमार पुत्र बलवन्त सिह जाति नाई सा. संगरिया।
12. जसविन्द्र सिह पुत्र शिवराज सिह जाति छिम्पा संगरिया।

अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

यह प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट प्रस्तुत हुआ जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एव अप्रार्थीगण का पजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो प्रार्थना–पत्र के शिर्षक मे दर्ज है। प्रार्थी के नाम से इन्तकाल संख्या 377 के अनुसार चक 3 एन.टी.डब्ल्यू खाता संख्या 33/31 खाता दीपक ज.स. 2068–71 मे कुल 1ए265 है0 आराजी दर्ज है। प्रार्थी के कब्जा काश्त की प्रार्थना–पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी मे आने जाने हेतु कोई मजुरशुदा रास्ता नहीं है। जिसमें प्रार्थी के कब्जा काश्त मे 3 एन.टी.डब्ल्यूत्र प.न. 181/173 मु.न. 45 किला न. 19,20,21,22,23 प्रार्थी के कब्जा काश्त में है यदि उक्त भूमि को आने जाने हेतु चक 3 एन.टी.डब्ल्यू. प.न. 181/173 मु.न. 45 किला न. 1,10,11 में आने जाने हेतु पत्थर लाईन से चिपता हुआ उतर से दक्षिण 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर दिया जाता है तो प्रार्थी अपने खेत मे आसानी से आ जा सकता है। इसके अलावा प्रार्थी का अपने खेत मे आने जाने हेतु कोई रास्ता नही है। उक्त आराजी मे से चक 3 एन.टी.डब्ल्यू. का प.न. 181/173 मु.न. 45 का किला नं. 1 अप्रार्थी संख्या 1 बलवन्तराम पुत्र मनीराम के कब्जा काश्त मे एवं इसी चक के प.न. 181/173 मु.न. 45 का किला नं. 10 अप्रार्थी संख्या 2 ता 7 सुमनलता, प्रेमलता पुत्रीयां कृष्ण, समित्रा देवी पत्नी रामकुमार,मनोज कुमार, दीपक, किरण पि. रामकुमार के कब्जाकाश्त में तथा इसी चक के प.न. 181/173 मु.न. 45 का किला नं. 11 अप्रार्थी संख्या 8 व 9 दुर्गादेवी पत्नी मनफूल व राजेन्द्र पुत्र मनफूल के कब्जा काश्त मे है। अतः प्रार्थी इसी मुताबिक रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि चक नं. 3 एन.टी.डब्ल्यू. के प.न. 181/173 मु.न. 45 के किला न. 1,10,11 मे आने जाने हेतु पत्थर लाइन से चिपता हुआ उतर से दक्षिण 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत कर रास्ता चालू करवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/3, 2,3 बावजूद सूचना उपस्थित नही है। अप्रार्थी संख्या 4 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन बार–बार समय दिये जाने पर भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया। अप्रार्थी संख्या 12 जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु अपना जवाब प्रस्तुत किया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 425 दिनांक 31.07.2024 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थी चक 3 एनटीडब्ल्यू के प.न. 181/173 मु.न. 45 किला नं. 1,10,11 में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है प्रदीप कुमार व मनोज कुमार सहमत नही है व जसविन्द्र सिह पुत्र शिवराज सिह रास्ता देने सहमत है एवं प.न. 181/173 मु.न. 45 किला नं. 1,10,11 में रास्ता दिया जाना उचित बतलाते हुए प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना व रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा की गई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट रास्ता की अत्यातिंक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु ''रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता'' एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि चक 3 एनटीडब्ल्यू में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नही अपितु आत्यंतिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए मे अप्रार्थीगण के रकबा में से चक 3 एनटीडब्ल्यू के प.न. 181/173 मु.न. 45 किला नं. 1,10,11 मे पत्थर लाईन के साथ–साथ उतर से दक्षिण एक–एक बिस्वा रास्ता डीएलसी की 2 गुणा राशि 15 दिवस में तहसील कार्यालय में नियमानुसार जमा करवाये तथा राशि जमा करवाये जाने के बाद प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत शुमार समझा जावे और इसका अंकन गैर मुमकिन रास्ता के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाकर चालू करवाया जावें। अप्रार्थीगण को जमा राशि का भुगतान उनके कब्जे अनुसार भू.अ.निरीक्षक की उपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित करावे, अप्रार्थी संख्या 12 बिना प्रतिफल के रास्ता देने हेतु सहमत है। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

क्रमांक:– / 2024 / 301 दिनांक: 29.8.2024

तहसीलदार (राजस्व)

संगरिया।

विषय:– प्रार्थना–पत्र संख्या 04 / 2020 अनवान दीपक बनाम बलवन्त वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 29.08.2024 की पालना करने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थना–पत्र संख्या 04 / 2020 अनवान दीपक बनाम बलवन्त वगैरा अन्तर्गत धारा 251 (ए) आरटीए की मुताबिक निर्णय दिनांक 29.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदि [illegible] निर्णय [illegible] किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न: निर्णय की प्रति

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 14:54:56 IST
Reason: SelfAttested